1989 (37(2)) बी.एल.जे.आर. 478

पटना उच्च न्यायालय की

पूर्ण पीठ

1989 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या (गलत प्रतीत होता है)

निर्णय दिनांक 19.05.1989

याचिकाकर्तागणः **राम देव राय**

बनाम

उत्तरदाताः **बिहार राज्य**

भारत का संविधान - अनुच्छेद 226

समाचार पत्र दिनांक 19/05/1989 का न्यायिक नोटिस लिया गया जिसके अनुसार एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी आयु 56 वर्ष है कुछ उपद्रवियों द्वारा सिर में गोली मारने के बाद पिछले 45 दिनों से सम्मूच्छा में था। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने उसे न्यूरोसर्जन की देखरेख में पी.एम.सी.एच. के इंदिरा गांधी केंद्रीय हताहत वार्ड में विस्तर के पैताना में जंजीरों से बांध दिया गया था।

निर्णित किया गया कि एक समाज कल्याणकारी राज्य में अधिकार के राजदंड का उपयोग करने वाली किसी भी बर्वर शक्ति के लिये कोई जगह नहीं है। आगे फिर निर्णित किया गया कि **उसे अस्पताल में बेड़ियों में बिना पुलिस हिरासत या न्यायिक हिरासत में भेजने का कोई आदेश दिये बिना उसको हिरासत में रखना अपने आप में असंवैधानिक है।**-- न्यायिक अभिरक्षा या पुलिस अभिरक्षा में बेड़िया भर्त्सना के पात्र हैं जब वे किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में होते हैं जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है और जो सम्मूर्च्छा में है।

[निर्णय दिनांक 28-1-1988 जो अपराधिक रिट क्षेत्राधिकार सं. 14/1988 में दिया गया, उस पर भरोसा किया गया।]

बंदी को बेड़ियो से तुरंत रिहा करने का आदेश देते हैं।

[पारा 1, 2, 3, 4 और 6]

1989 (37(2)) बी.एल.जे.आर. 478

पटना उच्च न्यायालय की

पूर्ण पीठ

1989 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या (गलत प्रतीत होता है)

निर्णय दिनांक 19.05.1989

याचिकाकर्तागणः **राम देव राय**

बनाम

उत्तरदाताः **बिहार राज्य**

कोरमः

एस. के. झा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, पी.एस. मिश्रा और एस. एच. एस. आबिदी, न्यायाधीशगण

निर्णय

एस. के. झा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, पी.एस. मिश्रा और एस. एच. एस. आबिदी, न्यायाधीशगण

1. मुख्य न्यायाधीश और इस न्यायालय के कुछ अन्य न्यायाधीशों ने 19 मई, 1989 के सुबह के संस्करण में पटना से प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स में एक समाचार पढ़ा, जिसका शीर्षक था "सम्मूर्च्छा में भी दासता" प्रकाशित समाचार की सामग्री को ध्यान में रखते हुए, जो इसके बाद कहा जाएगा, मामले का न्यायिक नोटिस लिया गया और आज सुबह 10.30 बजे एक विशेष पीठ का गठन उचित कदम उठाने एवं इस मामले में संबंधित राज्य और/या उसके अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करने और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला विधिवत शुरू किया

गया था। जब विद्वान महाधिवक्ता को सूचित किया गया और वह स्थिति की गंभीरता और तात्कालिकता के संबंध में पीठ से अवगत हो रहे थे, तो श्री अशोक प्रियदर्शी एक याचिका लेकर आए, जिसे इस न्यायालय की कार्यवाही के एक हिस्से के रूप में रखा गया है (हालांकि इसे आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले के रूप में वर्णित किया गया है) जो यह इस मामले के रिकॉर्ड का एक हिस्सा होगा।श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इस न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता, इस न्यायालय की सहायता करने और यह देखने के लिए कि न्याय योग्य पक्ष को दिया जाए, न्याय मित्र के रूप में उपस्थित हुए।

2. संक्षेप में बताए गए तथ्य ये हैं।एक श्री राम देव राय जिनकी आयु लगभग 56 वर्ष है-कहा जाता है कि पिछले 45 दिनों से वह सम्मूर्च्छा में थे, जब उनके पैतृक ग्राम छापरा में कुछ उपद्रवियों ने उनके सिर पर गोली मार दी थी।रिपोर्ट में आगे कहा गया है, जो श्री प्रियदर्शी द्वारा दायर याचिका से भी साबित होता है, कि पुलिस ने अब उसे न्यूरोसर्जन की देखरेख में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इंदिरा गांधी केंद्रीय हताहत वार्ड में जंजीरों में बांध दिया है।कहा जाता है कि राम देव राय इस बात से अनजान थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनके बेड हेड टिकट से पता चलता है कि वह "हेमिप्लेजिया और अफेसिया और सब-कंजंक्शनल रक्तस्राव" से पीड़ित हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार अग्रवाल के अनुसार उन्हें अस्पताल में पुलिस गार्ड के निगरानी में रखा गया था और उन्हें वहां बिस्तर के पैताना में जंजीरों से बांध दिया गया है।यह नियमों के खिलाफ था, खासकर तब जब कोई रोगी सम्पूर्च्छा में था।अखबार ने आगे बताया कि डॉक्टर के अनुसार, जिन पुलिसकर्मियों को पहरा देना चाहिए था, वे भी अनुपस्थित थे।पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शल्य चिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉ. नरेंद्र प्रसाद ने मरीज को हथकड़ी लगाकर इलाज करने से इनकार कर दिया।एक घंटे की तलाशी के बाद भी पुलिस गार्ड का पता नहीं चल सका।मुख्य हताहत अधिकारी को डॉक्टरों द्वारा 16 मई को रोगी को अतिरिक्त यातना से मुक्त करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए सूचित किया गया था, डॉ. नरेंद्र प्रसाद ने कहा था, "यह एक गंभीर मामला है। हमें सैद्धांतिक रूप से यह तय करना होगा कि क्या हम अपने रोगियों को न्यूनतम स्तर की देखभाल एवं आराम दे सकते हैं, इस तरह के मामलों में मैंने कई बार अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है।डॉ. प्रसाद ने आगे कहा कि "यदि

रोगी की सुरक्षा करनी है, तो ऐसा करना पुलिस और अस्पताल प्रशासन का कर्तव्य था।उससे बेड़ियों के साथ इलाज करना मुझसे बहुत अधिक उम्मीद करना होगा।मैं इस स्थिति में उसका इलाज करने से इनकार करता हूं।कहा जाता है कि इस मामले में पुलिस स्टेशन को एक पत्र भेजा गया था, लेकिन जवाब यह था कि चूंकि छपरा पुलिस के निर्देश पर था कि मरीज को जंजीरों से बांध दिया गया था, इसलिए यहां की पुलिस कुछ नहीं कर सकी।लिखने के समय, अखबार आगे कहता है, मामला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना को भेजा गया था।सम्पूर्च्छा में पड़ा रोगी काफी बूढ़ा है और न तो भागने की स्थिति में होता है और न ही कहीं और इलाज कराने की स्थिति में होता है।

3. इस स्थिति में हमारा दृढ़ विश्वास है कि एक समाज कल्याणकारी राज्य में अधिकार के राजदंड का उपयोग करने वाली किसी भी बर्बर शक्ति के लिए कोई जगह नहीं है।इसलिए हम इस पर ध्यान देने के लिए विवश हुए और हमने विद्वान महाधिवक्ता से यह देखने के लिए सहायता मांगी कि न्याय मौके पर ही हो और हम श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आभारी हैं जो इस उद्देश्य के लिए न्याय मित्र के रूप में उपस्थित हुए हैं।

4. हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या राम देव राय को इससे पहले अदालत के आदेश के तहत पुलिस हिरासत या न्यायिक हिरासत में किसी भी रिमांड पर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था । उसे अस्पताल में बेड़ियों में बिना पुलिस हिरासत या न्यायिक हिरासत में भेजने का कोई आदेश दिए बिना उसको हिरासत में रखना अपने आप में असंवैधानिक है।यदि उन्हें अदालत के आदेश के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, तो अकेले बांकीपुर केंद्रीय जेल के अधीक्षक राम देव राय को अस्पताल में भर्ती करने का निर्णय लेने में सक्षम हैं, जिन्हें सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, इस मामले में याचिकाकर्ता के रूप में वर्णित किया गया है। न्यायिक अभिरक्षा या पुलिस अभिरक्षा में बेड़िया भर्त्सना के पात्र हैं, जब वे किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में होते हैं जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है और जो सम्मूर्च्छा में

5. इस न्यायालय की निर्णय दिनांक 28.01.1988 जो आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार सं.- 14/1988 का जो मामला सासाराम का है--

> पीठ ने, विशिष्ट निर्देश जारी किया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मोहन मुशहर जैसे कैदियों को ऐसी अमानवीय स्थिति में हिरासत में रखा गया है, यह उच्च समय है कि कैदियों की कथित अमानवीय स्थिति को जल्द से जल्द मिटा दिया जाए।यह कहने की जरूरत नहीं है कि यदि मोहन मुशहर और अन्य विचाराधीन कैदियों को सासाराम जेल में मोहन मुशहर की तरह ही रखा जाता है, तो ऐसे विचाराधीन कैदियों के शरीर से हथकड़ी या जंजीर हटा दी जानी चाहिए जो सासाराम जेल में हथकड़ी या जंजीर हैं या उस मामले में पूरे बिहार की किसी भी जेल में हैं।

उस मामले में जब विचाराधीन कैदी अभी भी सासाराम जेल में बंद थे, तब पीठ ने मामले से बंध जाता है।लेकिन तत्काल मामला बहुत उच्च स्तर पर स्थित है क्योंकि राम देव राय जेल में नहीं बल्कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इंदिरा गांधी केंद्रीय हताहत वार्ड में है।विशेष उपचार के लिए एक जेल और अस्पताल या, उस मामले के लिए, सामान्य उपचार की भी बराबरी नहीं की जा सकती है, हम इस बात की सराहना करने में विफल रहते हैं कि अस्पताल के वार्डों में कैदी या विचाराधीन कैदी के साथ यह न्यूनतम मानव व्यवहार कैसे नहीं किया जा रहा है।क्या हम यह मान सकते हैं कि इस राज्य में पुलिस तंत्र इतना कमजोर है और सम्मूर्च्छा में एक कैदी से इतना आशंकित है कि उसे अस्पताल के वार्ड में जंजीरों में रखने के लिए मजबूर किया जा सकता है।यह वास्तव में चौंकाने वाला है।

6. हम, तदनुसार, राम देव राय को बेड़ियों से तुरंत रिहा करने का आदेश देते हैं।वर्तमान में अभिरक्षा, यदि कोई हो, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक की होगी जो राम देव राय की सुरक्षित अभिरक्षा और अस्पताल में उपलब्ध विशेषज्ञ के हाथों उनके उपचार के लिए जिम्मेदार होंगे। पुलिस गार्ड, यदि कोई हो सकता है राम देव राय और/या उनके मामलों से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति की किसी भी गतिविधि को देखने के लिए अस्पताल के वार्डों के बाहर तैनात किया जाए।

7. उत्तरदाताओं को कारण बताने के लिए नोटिस जारी करें कि इस आवेदन क्यों नहीं अनुमति दी जाए और राम देव राय को हिरासत से रिहा करने का निर्देश जारी नहीं किया जाए।

8. नियम को एक सप्ताह के भीतर वापस योग्य बता दिया जाए । संदेश वाहक के विशेष के माध्यम से नोटिस न्यायालय की कीमत पर सीधे उत्तरदाताओं को दिया जाए और उसकी सेवा की सूचना न्यायालय को दी जाए।

9. इस मामले की सुनवाई 26 मई, 1989 को की जाए। इस आदेश की एक प्रति प्रत्येक विद्वान महाधिवक्ता और श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सौंपी जाए।

इस आदेश की एक प्रति पटना के पुलिस अधीक्षक और पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक को भी अनुपालन के लिए तुरंत दी जाए।

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।